भारत सरकार

(जनजातीय कार्य मंत्रालय)

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या †4676

उत्तर देने की तारीख 22.07.2019

अनुसूचित जनजातियों के भूमि संबंधी अधिकार

†4676. डॉ हिना विजयकुमार गावीतः
डॉ. सुभाष रामराव भामरेः
डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हेः
श्री कुलदीप राय शर्माः
श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरेः
श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुलेः :

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि देश भर में विभिन्न प्रकार के हिताकांक्षी समूहों द्वारा अधिकांश आदिवासी भूमि का अतिक्रमण किया जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार भूमि अधिग्रहण और आदिवासियों के विस्थापन के मुद्दे को हल करने के लिए अनुसूचित जनजातियों के भूमि संबंधी अधिकारों की रक्षा और संरक्षण करती है और यदि हां , तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मंत्रालय ने वन अधिकारों अधिनियम, 2006 के कड़े और त्वरित कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्रों को निर्देश जारी किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) उपरोक्त अधिनियम के अनुसार आदिवासियों और अन्य पारंपरिक वनवासियों के लिए भूमिधारिता की न्यूनतम सीमा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए जा रहे अन्य उपचारात्मक कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्य मंत्री
(सुश्री रेणुका सिंह सरूता)

(क) से (ख) :- जहां तक भूमि संबंधी मुद्दों का संबंध है , ग्रामीण विकास मंत्रालय, भू-संसाधन विभाग (डीओएलआर) केन्द्र में नोडल मंत्रालय है, जो भूमि सुधार के क्षेत्र में निगरानी की भूमिका निभाता है। भूमि तथा इसका प्रबंधन राज्य के अनन्य विधायी तथा प्रशासनिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं

जैसा भारत के संविधान (7वीं अनुसूची) - सूची II (राज्य सूची) - प्रविष्टि संख्या -(18) के तहत व्यवस्था की गई है।

अनुसूचित जनजातियां (अजजा) सबसे अधिक अधिकारहीन, पृथक तथा वंचित जनसंख्या रही हैं। अनुसूचित जनजातियों के भूमि अधिकार की रक्षा तथा सुरक्षोपाय के लिए और अधिग्रहीत भूमि एवं जनजातियों के विस्थापन संबंधी मामले के निपटान के लिए निम्नलिखित संवैधानिक तथा कानूनी प्रावधान स्थापित किए गए हैं: -

i. अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (संक्षेप में एफआरए) की धारा 4 (5) में उल्लेखित है कि अन्यथा रूप में प्रदत्त वन निवासी अनुसूचित जनजातियों के किसी सदस्य या अन्य परम्परागत वन निवासी को , मान्यता तथा सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होने तक उसके कब्जे वाली वन भूमि से बेदखल अथवा हटाया नहीं जाएगा।

ii. एफआरए की धारा 5 के तहत ग्राम सभा को अन्य बातों के साथ-साथ अधिकार दिया गया है ताकि सामुदायिक वन संसाधनों तक पहुंच को नियमित भी किया जा सके एवं ऐसी गतिविधियों पर रोक लगाई जा सके जो जंगली पशुओं, वन तथा जैव विविधता को बुरी तरह से प्रभावित करती हैं।

iii. सरकार ने भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (संक्षेप में आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम, 2013) अधिनियमित किया है। उक्त अधिनियम का उद्देश्य भू-स्वामियों तथा अन्य प्रभावित परिवारों के लिए न्यूनतम गड़बड़ी के साथ भूमि अधिग्रहण हेतु संविधान के तहत स्थापित स्थानीय स्वशासन और ग्राम सभाओं के संस्थानों के साथ परामर्श करके एक मानवीय , सम्मिलित, संसूचित तथा पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करना है तथा उन प्रभावित परिवारों , जिनकी भूमि अधिग्रहीत की गई है अथवा अधिग्रहीत की जाने हेतु प्रस्तावित है, के लिए न्याय तथा उचित प्रतिपूर्ति प्रदान करना है।

iv. आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम, 2013 की धारा 48 के अंतर्गत आरएफसीटीएलएआरआर , 2013 तथा राष्ट्रीय पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति , 2007 के तहत भूमि अधिग्रहण से संबंधित पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन स्कीमों और योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा और निगरानी करने के उद्देश्य के लिए भू-संसाधन विभाग के दिनांक 02 मार्च, 2015 के आदेश संख्या 26011/04/2017-एलआरडी के माध्यम से भू-संसाधन विभाग में पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु राष्ट्रीय स्तर की निगरानी समिति गठित की गई है।

v. आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम, 2013 की धारा 41 तथा 42 के तहत अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए विस्थापन के विरुद्ध सुरक्षोपायों के रूप में विशेष प्रावधान किए गए हैं जो उनके हितों की सुरक्षा करते हैं। धारा 41 (1) के अनुसार जहां तक संभव हो अधिसूचित क्षेत्रों में किसी भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जाएगा। धारा 41 (2) के अनुसार, जहां इस तरह का अधिग्रहण होता है , वह केवल प्रत्यक्ष अंतिम उपाय के रूप में किया जाएगा। धारा 41 (3) के अनुसार अनुसूचित क्षेत्रों में किसी भी भूमि के अधिग्रहण या अलगाव के मामले में , ऐसे क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण के सभी मामलों में , तात्कालिकता के मामले में अधिग्रहण सहित इस अधिनियम, या किसी अन्य केंद्रीय अधिनियम या किसी राज्य अधिनियम के तहत एक

अधिसूचना जारी करने के पूर्व संबंधित ग्राम सभा या पंचायतों या स्वायत्त जिला परिषदों की पूर्व सहमति, संविधान की में पांचवीं अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्रों में उचित स्तर पर, जैसा भी मामला हो, प्राप्त करना अपेक्षित है। आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम, 2013 भी पुनर्वास और पुनर्स्थापन की प्रक्रिया तथा तरीके को निर्धारित करता है।

vi. पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम , 1996 यह व्यवस्था करता है कि अनुसूचित क्षेत्रों में ऐसी परियोजनाओं द्वारा प्रभावित व्यक्तियों का पुनर्स्थापन या पुनर्वास करने से पूर्व अनुसूचित क्षेत्रों अथवा विकास परियोजनाओं में भूमि का अधिग्रहण करने से पूर्व ग्राम सभा अथवा पंचायतों से उपयुक्त स्तर पर परामर्श किया जाएगा ; अनुसूचित क्षेत्रों में परियोजनाओं की वास्तविक प्लानिंग तथा कार्यान्वयन का राज्य स्तर पर समन्वय किया जाएगा।

vii. अनुसूची-V के तहत संवैधानिक प्रावधान भूमि अधिग्रहण आदि के कारण जनजातीय जनसंख्या के विस्थापन के विरुद्ध सुरक्षोपाय भी करते हैं। अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्य के राज्यपाल को जनजातीय लोगों से भूमि के अन्य हस्तांतरण को निषेध करने अथवा प्रतिबंधित करने और ऐसे मामलों में अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को भूमि का आवंटन नियमित करने के लिए सशक्त किया गया है। भूमि राज्य का विषय होने के कारण आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम , 2013 के अनुसार पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन के विभिन्न प्रावधान संबंधित राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित किए जाते हैं।

viii. "अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचारों की रोकथाम) अधिनियम , 1989" को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के खिलाफ अत्याचार के अपराधों, इस तरह के अपराधों और ऐसे अपराधों से पीड़ितों के पुनर्वास के लिए और इससे जुड़े मामलों या आकस्मिक मामलों को रोकने के लिए लाया गया है। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को उनकी भूमि या परिसर से गलत तरीके से निर्वासित करना, किसी भूमि या परिसर या जल या सिंचाई सुविधाओं अधिकारों में बाधा डालना या फसलों को नष्ट करने या उपज को ले जाना अत्याचार के अपराध कहे जाएंगे और उक्त अधिनियम के तहत सजा के अध्याधीन हैं।

उपरोक्त के अलावा, ओडिशा खनन निगम वनाम पर्यावरण तथा वन मंत्रालय एवं अन्य में सर्वोच्च न्यायालय के 3 न्यायाधीशों की पीठ ने वर्ष 2011 की रिट याचिका (सी) 180 के माध्यम से कहा है कि विधिवत रूप से आयोजित ग्राम सभा की बैठक में उचित विचार के पश्चात तथा संकल्प जारी किए जाने के बाद ही किसी विकासात्मक परियोजना के लिए ग्राम सभा की सूचित सहमति के बिना वन मंजूरी नहीं दी जा सकती। न्यायालय ने यह कहा है कि ग्राम सभा सभी समुदाय, व्यक्ति के साथ-साथ संस्कृति तथा धार्मिक दावों पर विचार करने के लिए भी स्वतंत्र है।

खान मंत्रालय ने 5 जनवरी, 2017 के अपने पत्र के माध्यम से खान तथा खनिज (विकास और विनियमन, अधिनियम, 1957) की धारा 10 (क) (2) (ग) के तहत शामिल मामलों में एफआरए अनुपालन के संबंध में पट्टा विलेख में शर्तों को लागू करने के संबंध में सभी राज्य सरकारों को एक पत्र भेजा है। उक्त पत्र में अन्य बातों के साथ-साथ यह भी उल्लेख किया गया है कि पट्टा विलेख के कार्यान्वयन से एफआरए के किसी भी प्रावधान का महत्व कम नहीं किया जा सकेगा।

इसके अलावा, पर्यावरण और वन मंत्रालय ने अपने दिनांक 03.08.2009 के पत्र के माध्यम से सूचित किया है कि सभी राज्य सरकारों को वन (संरक्षण) अधिनियम , 1980 के तहत वन भूमि

के गैर-वन प्रयोजनों के लिए विपथन के बारे में सूचित किया है। इसमें राज्य सरकार द्वारा प्रमाणित करते हुए एक पत्र भी शामिल है। इस तरह के विपथन के लिए प्रस्ताव (परियोजना और इसके निहितार्थों के पूर्ण विवरण के साथ , शाब्दिक / स्थानीय भाषाओं में) प्रत्येक संबंधित वनवासी ग्राम सभा के सामने रख दिए गये हैं, जो एफआरए के तहत पात्र हैं।

एफआरए, उन वन निवासी अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वन निवासियों, जो पीढ़ियों से ऐसे वनों में रह रहे हैं लेकिन जिनके अधिकार को दर्ज नहीं किया जा सका है, को वन अधिकारों को मान्यता देने और वन भूमि पर कब्जा प्रदान करने का एक अधिनियम है ।

एफआरए के तहत ऐसे वन अधिकारों की मान्यता और इसे प्रदान करना इस शर्त के अध्याधीन है कि ऐसे अनुसूचित जनजाति या जनजातीय समुदाय या अन्य परम्परागत वनवासियों ने 13 दिसंबर, 2005 से पहले वन भूमि पर कब्जा कर लिया था।

(ग) राज्य सरकारों / संघ राज्यक्षेत्रों को पहले से ही इस मंत्रालय द्वारा समय-समय पर वन अधिकार अधिनियम, 2006 और नियमों के प्रावधान को लागू करने और अधिनियम के तहत वन निवासियों के दावे को संसाधित करते समय यह सुनिश्चित करने के लिए किसी भी पात्र का दावा अस्वीकार न हो परामर्शी जारी की गयी है। इसके अलावा , हाल ही में 26.03.2019 को एक पत्र भी जारी किया गया था जो सभी राज्य / संघ राज्यक्षेत्र को जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए विभिन्न दिशा-निर्देशों को दर्शाता है , जो कि परिचालित किये गये वन अधिकार अधिनियम , 2006 के कार्यान्वयन के संबंध में राज्यों / संघ राज्यक्षेत्र द्वारा आवश्यक कार्रवाई को सुविधाजनक बनाने के लिए जारी किए गए हैं।

(घ)(i) एफआरए, उन वन निवासी अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वन निवासियों, जो पीढ़ियों से ऐसे वनों में रह रहे हैं लेकिन जिनके अधिकारों को दर्ज नहीं किया जा सका है, को वन अधिकारों को मान्यता देने और वन भूमि पर कब्जा प्रदान करने का एक अधिनियम है ।

(ii) एफआरए के तहत ऐसे वन अधिकारों की मान्यता और इसे प्रदान करना इस शर्त के अध्याधीन है कि ऐसे अनुसूचित जनजाति या जनजातीय समुदाय या अन्य परम्परागत वनवासियों ने 13 दिसंबर, 2005 से पहले वन भूमि पर कब्जा कर लिया था।

(iii) एफआरए की धारा 4 (6) के अनुसार 'जहां भी उपधारा (1) द्वारा वन अधिकारों को मान्यता दी गई है तथा प्रदान किया है वह धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (क) में उल्लिखित भूमि के संदर्भ में है, ऐसी भूमि इस अधिनियम के प्रारम्भ होने की तिथि से किसी व्यक्ति या परिवार या समुदाय के कब्जे के अधीन होगी और वास्तविक कब्जे के तहत क्षेत्र तक प्रतिबंधित होगी एवं किसी भी मामले में यह 4 हेक्टेयर के क्षेत्रफल से ज्यादा नहीं होगी'

(ड.) जैसा कि पहले ही उपरोक्त प्रश्न के भाग (ग) के उत्तर में दिया गया है।